

गरवी गुजरात

PRGI No. GJHIN/26/A1393

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM SURAT, AHMEDABAD, LUCKNOW

वर्ष : 01
अंक : 039
दि. 08.11.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
SURAT EDITION

ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की नई व्याख्या, अब आय के साथ माता-पिता के पद और सामाजिक स्थिति भी होंगे अहम

सिर्फ वेतन के आधार पर आरक्षण से वंचित नहीं किए जा सकेंगे अभ्यर्थी, 1993 के सरकारी आदेश की व्याख्या को दी नई स्पष्टता; यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के चयन में भी लागू होगा फैसला

नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण से जुड़े क्रीमी लेयर के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण व्याख्या ने देश में सामाजिक न्याय, समान अवसर और आरक्षण की पात्रता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी ओबीसी अभ्यर्थी को केवल उसके माता-पिता की वेतन आय के आधार पर क्रीमी लेयर में शामिल कर देना उचित नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि माता-पिता किस तरह के पद पर कार्यरत हैं और उनकी सेवा-श्रेणी क्या है। अदालत के अनुसार क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय निर्धारित सरकारी नियमों, पद की श्रेणी और सामाजिक स्थिति से जुड़े पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 11 मार्च 2026 को न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने फैसले के क्रियान्वयन और उसके प्रभाव को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। छह नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले से पूरी हो चुकी नियुक्तियों और चयन प्रक्रियाओं को सामान्य रूप से दोबारा नहीं खोला जाएगा, जबकि सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लंबित सेवा आवंटन में नई व्याख्या लागू होगी।

इस फैसले को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था क्यों बनाई गई थी। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें शिक्षा, सरकारी सेवाओं और अन्य अवसरों में आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया। लेकिन समय के साथ यह सवाल उठा कि पिछड़े वर्गों के भीतर जो परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत आगे बढ़ चुके हैं, क्या उन्हें भी लगातार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? इसी विचार के तहत क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की गई। इसका उद्देश्य उन परिवारों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखना है, जिन्हें निर्धारित मानकों के आधार पर सामाजिक और प्रशासनिक रूप से पर्याप्त रूप से उन्नत माना जाता है, ताकि आरक्षण का लाभ जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक पहुंच सके।

हालांकि क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल किसी परिवार की कुल आमदनी देखकर नहीं किया जाता। इसके लिए केंद्र सरकार ने आठ सितंबर 1993 को एक कार्यालय ज्ञापन



जारी किया था, जिसमें विभिन्न श्रेणियों और मानकों के आधार पर पात्रता तय करने की व्यवस्था की गई। इसमें सरकारी सेवाओं में माता-पिता के पद और उनकी सेवा-श्रेणी को विशेष महत्व दिया गया। बाद में 14 अक्टूबर 2004 को जारी एक स्पष्टीकरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और निजी संस्थानों में कार्यरत माता-पिता की वेतन आय को लेकर भी प्रावधान जोड़े गए। विवाद इसी बात पर खड़ा हुआ कि जब सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए कुछ परिस्थितियों में वेतन को क्रीमी लेयर तय करने का आधार नहीं बनाया जाता, तो समान स्तर के पदों पर काम करने वाले सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों के मामले में वेतन को अलग तरीके से क्यों देखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे मामलों में कुछ ऐसे अभ्यर्थी शामिल थे, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी श्रेणी के तहत सफलता हासिल की थी। उनके माता-पिता निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में कार्यरत थे। निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके माता-पिता की वेतन आय को क्रीमी लेयर के परीक्षण में शामिल किया गया और आय सीमा से अधिक होने के आधार पर उन्हें ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर का लाभ देने से इनकार कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने इस फैसले को चुनौती दी। उनका तर्क था कि सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना उचित नहीं है, खासकर तब जब पदों की वास्तविक समानता का निर्धारण ही नहीं किया गया हो।

मामला विभिन्न न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने 11 मार्च 2026 को अपने फैसले में कहा कि 1993 के मूल कार्यालय ज्ञापन और 2004 के स्पष्टीकरण को एक साथ पढ़ना होगा। बाद में जारी स्पष्टीकरण मूल नीति से आगे जाकर ऐसी नई शर्त नहीं जोड़ सकता, जो मूल आदेश में मौजूद ही न हो। अदालत ने यह भी माना कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता के बच्चों को केवल वेतन आय के आधार पर क्रीमी लेयर में डालना, जबकि तुलनीय सरकारी पदों के मामले में ऐसा व्यवहार न किया जाए, समानता के संवैधानिक सिद्धांत के विरुद्ध हो सकता है। इस तरह अदालत ने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय माता-पिता के पद और उनकी श्रेणी को महत्व देना जरूरी है। केवल वेतन की एक सीमा को देखकर किसी अभ्यर्थी की पात्रता तय करना उचित नहीं है।

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू कृषि आय से भी जुड़ा है। 1993 के सरकारी आदेश में आय एवं संपत्ति परीक्षण के तहत वेतन और कृषि आय को शामिल न करने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह है कि जहां क्रीमी लेयर का निर्धारण इस आय-सम्पत्ति परीक्षण के आधार पर किया जाता है, वहां कृषि आय और वेतन को जोड़कर मनमाने ढंग से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि कृषि से अच्छी आमदनी अर्जित करने वाला हर ओबीसी परिवार बिना किसी अन्य जांच के स्वतः नॉन-क्रीमी लेयर मान लिया जाएगा। माता-पिता के पद, सेवा-श्रेणी और संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार अन्य कसौटियां भी लागू हो सकती हैं। इसलिए इस फैसले को आठ लाख रुपये की सीमा समाप्त होने या हर अधिक आय वाले परिवार को आरक्षण मिलने के रूप में देखना सही नहीं होगा।

दरअसल, भारत में सामाजिक पिछड़ेपन की चर्चा केवल आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं रही है। लंबे समय तक अनेक समुदायों को पारंपरिक पेशों, सामाजिक पहचान और शिक्षा तक सीमित पहुंच के कारण अवसरों में असमानता का सामना करना पड़ा। खेती, पशुपालन, कारीगरी, श्रम और छोटे व्यवसायों से जुड़े कई समुदायों ने समय के साथ आर्थिक प्रगति की, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार का अर्थ यह नहीं कि सामाजिक और शैक्षणिक असमानताएं भी पूरी तरह समाप्त हो गईं। किसी परिवार के पास जमीन, मकान या अच्छी कृषि आय हो सकती है, लेकिन उसके बच्चों को उच्च शिक्षा, शहरी संस्थानों, पेशेवर नेटवर्क और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाने में दूसरी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक स्थिति के बीच अंतर को समझना जरूरी है।

कई ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के परिवारों ने कृषि और पशुपालन के माध्यम से संपन्नता हासिल की, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अगली पीढ़ियों को आगे बढ़ने में समय लगा। पहले गांवों में उच्च शिक्षा के संस्थान सीमित थे। शहरों तक पहुंच, आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ सामाजिक संपर्क और शैक्षणिक मार्गदर्शन का अभाव भी बड़ी बाधा था। कई परिवारों के लिए बच्चों को शहर भेजकर पढ़ाना आसान नहीं था। इसके विपरीत कुछ ऐसे समुदाय भी थे, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद शिक्षा और सरकारी सेवाओं में पहले से उपस्थिति थी। इस अंतर ने सामाजिक और शैक्षणिक अवसरों की असमानता को लंबे समय तक बनाए रखा।

स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रश्न लंबे समय तक राष्ट्रीय बहस का विषय बना रहा। मंडल आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन किया और आरक्षण की सिफारिशें कीं। वर्ष 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की दिशा में निर्णय लिया। इसके बाद 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था और क्रीमी लेयर को लेकर महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए। वर्ष 1993 में केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए विस्तृत कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसी व्यवस्था के तहत सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों को आरक्षण से बाहर रखने का प्रावधान भी लागू हुआ।

जवानों के बीच दीपावली मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी

देशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की

नई दिल्ली। दीपावली के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में यह भी स्पष्ट किया कि हर वर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी वह देश की सीमाओं और सुरक्षा में तैनात वीर जवानों के बीच दीपावली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह देशवासी अपने परिवारों के साथ उत्साह से यह त्योहार मनाते हैं, उसी तरह वह भी दीपावली को लेकर विशेष उत्साह महसूस करते हैं और इस अवसर पर सैनिकों के बीच पहुंचना उनके लिए एक महत्वपूर्ण परंपरा बन चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि दीपावली के पावन पर्व पर पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है। प्रकाश का यह त्योहार अंधकार के खिलाफ हमारे संकल्प का परिचय देता है। उन्होंने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर किसी का वर्तमान और आने वाला समय सुख, शांति तथा समृद्धि से भरा रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि वह भी आम नागरिकों की तरह पूरे उत्साह के साथ दीपावली मनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी उनका प्रयास रहेगा कि देश के वीर जवानों के बीच जाकर त्योहार की खुशियां साझा करें। उन्होंने देशवासियों को एक बार फिर दीपावली की बधाई दी और सभी के जीवन में खुशहाली की कामना की।



प्रधानमंत्री का जवानों के साथ दीपावली मनाने का सिलसिला पिछले कई वर्षों से चर्चा में रहा है। वह त्योहार के अवसर पर देश के अलग-अलग सीमावर्ती और सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में पहुंचकर सैनिकों से मुलाकात करते रहे हैं। इस दौरान वह जवानों का उत्साह बढ़ाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना करते हैं। सैनिकों के बीच दीपावली मनाने के पीछे प्रधानमंत्री का उद्देश्य यह संदेश देना भी है कि देश के लोग अपने घरों में सुरक्षित और निश्चिंत होकर त्योहार मना सकें, इसके लिए सीमाओं पर तैनात जवान कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बर्फीले पहाड़ों, रेगिस्तानी इलाकों, दुर्गम चौकियों और संवेदनशील सीमाओं पर तैनात सैनिक अपने परिवारों से दूर रहकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के माध्यम से सैनिकों के प्रति देश की कृतज्ञता और सम्मान की भावना को भी सामने रखा। दीपावली जैसे पारिवारिक त्योहार पर जब देशभर में लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं और परिवार के साथ खुशियां बांटते हैं, उस समय बड़ी संख्या में सैनिक अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का उनके बीच पहुंचना जवानों के लिए उत्साहवर्धक माना जाता है। सैनिकों के साथ त्योहार मनाने की यह परंपरा राष्ट्रीय एकता, कर्तव्य और देशसेवा की भावना को भी मजबूत करती है।

दीपावली की शुभकामनाएं देने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें त्योहार की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति से भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं। इस मुलाकात को त्योहार के अवसर पर संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के बीच शुभकामनाओं के आदान-प्रदान के रूप में देखा गया। दीपावली के मौके पर देश के प्रमुख राजनीतिक और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से नागरिकों को शुभकामनाएं देने का सिलसिला भी जारी रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने धनतेरस के अवसर पर भी देशवासियों को बधाई दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में भगवान धन्वंतरि का स्मरण करते हुए सभी के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और शांति की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भगवान धन्वंतरि की कृपा से हर व्यक्ति का जीवन खुशियों और अच्छी सेहत से भरा रहे। उन्होंने कामना की कि देश के हर घर में आनंद और खुशहाली का दीप जलता रहे। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने भगवान धन्वंतरि को नमन करते हुए उन्हें औषधियों और आरोग्य का देवता बताया।

ISIS साजिश मामले में डॉक्टर को छह साल की कठोर कैद, अदालत में कबूला जुर्म

मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) से जुड़ी आतंकी साजिश के मामले में विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने एक डॉक्टर को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अदनान अली सरकार पेशे से एनेस्थिसियोलॉजिस्ट है। उसने अदालत के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है और वह अपने भविष्य तथा परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जुर्म कबूल कर रहा है। विशेष अदालत ने उसके अपराध स्वीकार करने की अर्जी को मंजूर करते हुए उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आपराधिक साजिश रचने तथा सबूत मिटाने के अपराध में दोषी ठहराया। विशेष एनआईए न्यायाधीश अभय ए. जोगलेकर ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी का यह पहला अपराध होने और उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के बावजूद मामले की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत का मानना है कि ऐसे मामलों में ऐसी सजा जरूरी है, जिससे समाज में स्पष्ट संदेश जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाली गतिविधियों को किसी भी स्तर पर प्रोत्साहन न मिले। न्यायाधीश ने कहा कि आतंकवादी संगठनों से जुड़ी गतिविधियां देश की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई आवश्यक है। यह मामला वर्ष 2023 में सामने आए आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा है। जांच एजेंसियों ने इस मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के बाद अदनान अली सरकार सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहे थे और उसकी विचारधारा तथा गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए संगठित तरीके से काम कर रहे थे। जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आपराधिक साजिश रची थी।

मामले में 25 जून को अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के समय अदनान अली ने खुद को निर्दोष बताया था। हालांकि, बाद में उसने अपना रुख बदलते हुए 28 अक्टूबर को अदालत में आवेदन दाखिल किया और अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई। उसने अदालत से अनुरोध किया कि उसके कबूलनामे को स्वीकार करते हुए कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा दी जाए। अपनी अर्जी में उसने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का भी उल्लेख किया। आरोपी ने बताया कि वह योग्य एनेस्थिसियोलॉजिस्ट है और गिरफ्तारी से पहले चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहा था। उसका दावा था कि इससे पहले उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है।

अदालत के समक्ष आरोपी ने यह भी बताया कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके परिवार में बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और चार बच्चे हैं। गिरफ्तारी के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है और उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने अपने किए पर पछतावा जताते हुए कहा कि वह अपने परिवार के भविष्य को देखते हुए अपराध स्वीकार करना चाहता है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक परिस्थितियों और पहली बार अपराध करने जैसे पहलुओं पर विचार किया जा सकता है, लेकिन गंभीर आरोपों के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े व्यापक हित भी महत्वपूर्ण हैं। अदालत ने आरोपी को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए सात दिन का समय दिया था। इस दौरान उसे अपराध स्वीकार करने के कानूनी परिणामों के बारे में समझने और अपनी इच्छा पर पुनर्विचार करने का अवसर दिया गया। इसके बावजूद अदनान अली अपने निर्णय पर कायम रहा। उसने अदालत को दोबारा बताया कि वह किसी दबाव, धमकी या लालच के बिना अपनी मर्जी से अपराध स्वीकार कर रहा है। अदालत ने रिकॉर्ड और आरोपी के बयान की जांच करने के बाद संतुष्टि जताई कि उसका कबूलनामा स्वैच्छिक है। उस पर किसी प्रकार की जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत उसे दोषी ठहराते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

गाजियाबाद धमाके के बाद चर्चा में आया नया संगठन

सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रहीं आतंकी कनेक्शन

गाजियाबाद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए संदिग्ध धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच का दायरा बढ़ गया है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर 'तहरीक उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान' नाम के एक संगठन की ओर से धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। इस दावे ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब तक इस नाम के किसी संगठन की गतिविधियों या नेटवर्क के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई थी। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वास्तव में कोई नया संगठन सक्रिय हुआ है या फिर किसी पुराने प्रतिबंधित आतंकी संगठन के नाम से मिलता-जुलता नाम इस्तेमाल कर जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है।

धमाके के बाद सामने आए इस दावे की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों, उनकी वास्तविकता और उनके स्रोत की पड़ताल कर रही हैं। शुरुआती स्तर पर 'तहरीक उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान' को एक नए नाम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, केवल सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने का दावा कर देना किसी संगठन की वास्तविक मौजूदगी या धमाके में उसकी भूमिका का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए एजेंसियां यह भी जांच रही हैं कि संदेश किसने जारी किया, उसका उद्देश्य क्या था और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। इस नए नाम के सामने आने के बाद जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू पुराने आतंकी संगठन 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन' (टीयूएम) से संभावित संबंध भी बन गया है। सूत्रों के मुताबिक, इस नाम का एक संगठन पहले से मौजूद रहा है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2019 में आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। बताया जाता है कि इस संगठन की गतिविधियां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से संचालित होती रही थीं। पुराने संगठन और सोशल मीडिया पर दावा करने वाले नए नाम के बीच समानता ने एजेंसियों को इस दिशा में भी जांच करने के लिए प्रेरित किया है।

हालांकि, फिलहाल दोनों संगठनों के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि 'तहरीक उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान' किसी पुराने संगठन का नया नाम है, उससे जुड़ा कोई अलग गुट है या फिर केवल भ्रम पैदा करने के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया गया है। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि नए नाम के पीछे कौन लोग हैं और क्या उनका किसी प्रतिबंधित संगठन, उसके पुराने सदस्यों या किसी बाहरी नेटवर्क से संपर्क है। नाम में समानता को फिलहाल जांच का एक अहम बिंदु माना जा रहा है, लेकिन इसे दोनों के बीच संबंध का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

सूत्रों के हवाले से यह आशंका भी जताई जा रही है कि इस तरह के नाम का इस्तेमाल किसी बड़ी साजिश के तहत किया गया हो सकता है। जांच से जुड़े लोगों के अनुसार, संभव है कि किसी पुराने संगठन से मिलता-जुलता नाम अपनाकर सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की गई हो। इस संदर्भ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके कथित स्थानीय नेटवर्क की भूमिका को लेकर भी आशंकाएं सामने आई हैं।

बाल विवाह पर घटती दर के बावजूद कायम गंभीर चुनौती, हर पांचवीं युवती की शादी 18 वर्ष से पहले

नई दिल्ली। देश में बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को लेकर जागरूकता बढ़ी है। सरकार की ओर से बाल विवाह रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं और गांव से लेकर शहरों तक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद बाल विवाह की कुप्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी एनएफएचएस-6 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की 20.1 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की कानूनी उम्र पूरी होने से पहले हो गया था। इसका अर्थ है कि देश में आज भी लगभग हर पांचवीं महिला का बचपन में ही विवाह कर दिया गया। हालांकि पिछले सर्वेक्षण की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन आंकड़े यह भी बताते हैं कि सामाजिक सोच, आर्थिक मजबूरियों और परंपराओं की जड़ें अब भी इतनी मजबूत हैं कि बाल विवाह रोकने की कोशिशों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है।

एनएफएचएस-5 के वर्ष 2019-21 के आंकड़ों में 18 वर्ष से पहले विवाह करने वाली 20 से 24 वर्ष की महिलाओं का अनुपात 23.3 प्रतिशत था। एनएफएचएस-6 के वर्ष 2023-24 के आंकड़ों में यह घटकर 20.1 प्रतिशत रह गया है। यानी इस अवधि में 3.2 प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज की गई। पहली नजर में यह गिरावट उत्साहजनक दिखाई देती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि देश में बाल विवाह रोकने के प्रयासों का असर हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि दो दशकों से अधिक समय से चल रहे कानूनी और सामाजिक प्रयासों के बावजूद पांच में से एक महिला का कम उम्र में विवाह



होना गंभीर चिंता का विषय है। यह केवल आंकड़ों का मामला नहीं, बल्कि लाखों लड़कियों के बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने जीवन के फैसले लेने के अधिकार से जुड़ा सवाल है।

राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बाल विवाह की समस्या पूरे देश में एक जैसी नहीं है। पश्चिम बंगाल में 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की 36.4 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ। बिहार में यह अनुपात 34.6 प्रतिशत दर्ज किया गया। इन दोनों राज्यों में स्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी खराब है। दूसरी ओर केरल में यह आंकड़ा केवल 2.9 प्रतिशत है, जो देश के सबसे कम स्तरों में शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी जैसे पहलुओं का बाल विवाह की रोकथाम से गहरा संबंध है। उत्तर प्रदेश में यह अनुपात 13.7 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य में समस्या समाप्त हो गई है। देश के अलग-अलग हिस्सों में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बाल विवाह के कारण तथा उसका स्वरूप बदलता रहता है। बाल विवाह के पीछे सबसे बड़ी वजहों में गरीबी, शिक्षा का अभाव, लैंगिक भेदभाव और परंपरागत सामाजिक सोच शामिल हैं। कई परिवारों में आज भी बेटियों की पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं की तुलना में उनकी शादी को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। कुछ परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण लड़की की शादी जल्दी कर देना उचित समझते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी की जिम्मेदारी जल्दी पूरी हो जाएगी और परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा। कई जगह विवाह को परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में यदि कोई लड़की पढ़ना चाहती है या विवाह में देरी करना चाहती है तो उसे परिवार और समाज के दबाव का सामना करना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर माता-पिता की चिंता भी कम उम्र में विवाह का कारण बनती है। लेकिन सुरक्षा की समस्या का समाधान बाल विवाह नहीं, बल्कि सुरक्षित वातावरण, बेहतर शिक्षा और लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। शिक्षा और बाल विवाह के बीच संबंध भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिन लड़कियों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, उनके कम उम्र में विवाह होने का खतरा बढ़ जाता है। स्कूल से दूरी बनने के बाद उनके सामने रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। कई बार परिवार आर्थिक कारणों से बेटियों की पढ़ाई बंद कर देते हैं। इसके बाद घर के कामकाज और विवाह की तैयारियों को ही उनके जीवन का अगला चरण मान लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय की दूरी, सुरक्षित परिवहन का अभाव, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करती है। यदि किसी लड़की को दसवीं या बारहवीं के बाद आगे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता तो परिवार के लिए उसका विवाह तय करना आसान हो जाता है। इसीलिए बाल विवाह रोकने के लिए केवल शादी की उम्र पर निगरानी रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि हर लड़की अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। कम उम्र में विवाह का असर लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। किशोरावस्था में शरीर का विकास पूरी तरह पूरा नहीं हुआ होता। ऐसे में कम उम्र में गर्भधारण होने पर मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ सकता है। कम उम्र की गर्भवती महिलाओं में कई प्रकार की स्वास्थ्य जटिलताओं की आशंका रहती है। उन्हें पर्याप्त पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच और उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है। दूसरी ओर, कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियों को मानसिक दबाव, घरेलू जिम्मेदारियों और सामाजिक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पातीं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी खो देती हैं। इस तरह बाल विवाह का प्रभाव केवल एक लड़की तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और विकास को भी प्रभावित करता है। बाल विवाह के बाद लड़कियों के सामने घरेलू हिंसा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। कम उम्र में विवाह होने के कारण वे अपने अधिकारों, स्वास्थ्य और कानूनी संरक्षण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रख पातीं।

त्योहारों की भीड़ के बीच आधी रात ग्राउंड जीरो पर पहुंचे डीआरएम, स्टेशन से वॉर रूम तक संभाली कमान

अहमदाबाद। दीपावली और छठ महापर्व के अवसर पर घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच पश्चिम रेलवे ने यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी आवाजाही को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) वेद प्रकाश स्वयं आधी रात तक ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। उन्होंने स्टेशन परिसर, विशेष होल्डिंग एरिया और रेलवे के वॉर रूम में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि त्योहारों पर अपने घरों के लिए रवाना हो रहे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और भीड़ को नियंत्रित तरीके से ट्रेनों तक पहुंचाया जा सके।

त्योहारी सीजन में गुजरात से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को अकेले अहमदाबाद से करीब दो लाख यात्रियों ने रेल यात्रा की। इनमें 40 हजार से अधिक अनारक्षित यात्री शामिल थे, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लिए रवाना हुए। यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर अतिरिक्त इंतजाम किए। पिछले वर्ष त्योहारों के दौरान गुजरात के

चाय पर चर्चा

सांस्कृतिक स्वाभिमान का उत्सव

गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्रीराम को संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित करने वाला परम प्रकाश बताया है। दीपोत्सव उसी दिव्य आलोक और सांस्कृतिक चेतना के अनुभव का महापर्व है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन उस पावन परंपरा को जीवंत करता है, जब 14 वर्ष के वनवास के उपरांत प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने पर अवधपुरी दीपों से आलोकित हुई थी। यह हमारी सभ्यता के उस शाश्वत विश्वास का उद्घोष है, जिसमें सत्य, धर्म और मर्यादा का प्रकाश सदैव सर्वोपरि रहा है। अयोध्या धाम 10वें दीपोत्सव के स्वागत के लिए सज्जित है। यह महोत्सव भारत की सनातन चेतना और सांस्कृतिक स्वाभिमान का वैश्विक उत्सव बन चुका है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश की जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से हमें सेवा का दायित्व मिला, तब अंतर्मन में एक ही कौतूहल और संकल्प था कि कैसा रहा होगा वह क्षण, जब 14 वर्षों के वनवास और अधर्म के संहार के उपरांत प्रभु श्रीराम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी जन्मभूमि लौटे होंगे! उस दिन अवध के नर-नारियों ने सुध-बुध बिसराकर किस उल्लास के साथ हर डगर, हर चौखट और हर देहरी को दीपों से सजाया होगा! त्रेता की उस अयोध्या का प्रत्यक्ष दर्शन तो हमने नहीं किया, किंतु प्रभु के आशीर्वाद से आज उसी अलौकिकता को आधुनिक भारत के आत्मविश्वास के साथ साकार किया जा रहा है। दीपोत्सव से हमारा सनातन संबंध केवल परंपराओं से नहीं, अपितु उच्च जीवन-मूल्यों से है। 14 वर्षों तक पूज्य भरत जी ने राजसुख त्याग कर प्रभु श्रीराम की चरण-पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर अयोध्या के राज्य का संचालन किया। यह पावन प्रसंग हमें सिखाता है कि शासन और सत्ता का वास्तविक अर्थ अधिकार नहीं, अपितु लोक-कल्याणकारी दायित्व है। अयोध्या का यह दीपोत्सव त्याग, मर्यादा, सेवा और समर्पण की इसी उदात्त भावना को आज विश्वपटल पर पुनर्स्थापित कर रहा है। इस दिव्यता के साथ इतिहास के उस काले दौर को भी याद रखना होगा, जिसने दशकों तक हमारी आस्था को लहूलुहान किया। अयोध्या को आजादी के बाद तुष्टीकरण, वोटबैंक की संकीर्ण भूख और छद्म पंथनिरपेक्षता की राजनीति ने उपेक्षा के अंधकार में धकेल दिया। वह दारुण समय था, जब प्रभु श्रीराम के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े किए गए और अपनी ही सनातन संस्कृति की चर्चा करने में संकोच किया जाता था। जिन तीर्थों को हम राष्ट्रीय आत्मा मानते थे, उन्हें जब बदहाल छोड़ दिया गया, तो देश के समग्र उत्थान का मनोबल टूटा। आज की युवा पीढ़ी डिजिटल युग में जी रही है, इसलिए परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़ना हमारा दायित्व है। मां सरयू के तट पर सजी भव्य दीपमाला, राम की पैड़ी पर लाखों दीपों की जगमगाहट, जल-तरंगों पर बने फ्लोटिंग मंच पर सजीव मंचीय प्रस्तुतियां, आगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से स्क्रीन पर थ्री-डी रूप में साकार होते रामायण के प्रसंग, लेजर शो और ड्रोन के माध्यम से रात्रि के नभमंडल में रामायण का चित्रण महोत्सव को अलौकिक भव्यता प्रदान करने वाले होंगे। 12 देशों के सांस्कृतिक दलों की सहभागिता ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रभु श्रीराम का चरित्र संपूर्ण मानवता के लिए सत्य, शांति और मर्यादा का मार्गदर्शक है। इस विराट उत्सव का सबसे पवित्र पक्ष है, आस्था और आर्थिकी का संगम। जहां प्रकाश है, वहां सुरक्षा का वास है। जहां सुरक्षा है, वहां निवेश के अवसर हैं, जहां निवेश है, वहां विकास है और जहां विकास है, वहीं रोजगार तथा सुख-समृद्धि हैं। दीपोत्सव केवल अयोध्या को दीपों से सजाने का आयोजन नहीं है। यह उन परंपराओं को फिर से अपने जीवन का हिस्सा बनाने का अवसर है, जिन्हें समय के साथ उपेक्षित कर दिया गया था। वर्षों तक हमारी लोककला, लोकसंस्कृति और पारंपरिक शिल्प को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे अधिकारी थे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने और 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद इस दिशा में ठोस प्रयास हुए। दीपोत्सव की भव्यता में हमारे स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों और कुम्हारों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी कला और परिश्रम हमारी परंपराओं को जीवंत बनाए रखते हैं। 'एक जनपद, एक उत्पाद' योजना ने प्रदेश के स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को नई पहचान दी है। इसी वर्ष प्रारंभ 'एक जनपद, एक व्यंजन' योजना भी हमारे जनपदों की पाक परंपराओं को आगे बढ़ाएगी। दीपोत्सव के माध्यम से हमारे माटी-कलाकार, कुम्हार भाई, पुष्प विक्रेता, नाविक, छोटे पटरी दुकानदार, हस्तशिल्पी और होटल एवं होमस्टे व्यवसायियों के लिए व्यापक रोजगार और आय के नए साधन सृजित हुए हैं। धार्मिक पर्यटन ने अयोध्या के स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका के असीम द्वार खोल दिए हैं। आस्था जब अर्थव्यवस्था का संबल बनती है, तो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के घर में खुशहाली का दीप स्वतः जल उठता है। अंत्योदय की इसी भावना को विस्तार देते हुए इस पावन अवसर पर प्रदेश के 1.89 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सिलिंडर रीफिल भेंट किया गया।

भारतीय त्योहारों को वैश्विक पहचान मिले तो अर्थव्यवस्था को लगेंगे नए पंख

विदेशी पर्यटकों को केवल बड़े होटलों और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें भारतीय परिवारों के साथ त्योहार मनाने का अवसर देना चाहिए। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पारंपरिक भोजन बनाने, मिट्टी के दीपक तैयार करने, रंगोली सजाने, लोकगीत सुनने और स्थानीय रीति-रिवाजों को समझने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।



भारत की पहचान दुनिया में केवल अपनी प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक धरोहरों और आध्यात्मिक परंपराओं के कारण ही नहीं, बल्कि यहां मनाए जाने वाले विविध रंगों के त्योहारों से भी है। देश का प्रत्येक पर्व अपने साथ संस्कृति, परंपरा, सामाजिक एकता और आर्थिक गतिविधियों का एक अनूठा संसार लेकर आता है। दीपावली की जगमगाती रोशनी हो, होली के रंग हों, दुर्गा पूजा की भव्यता हो या ओणम की पारंपरिक खुशियां, हर उत्सव भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। इन त्योहारों का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन, रोजगार और स्थानीय उद्योगों को भी मजबूती प्रदान करते हैं। यदि भारतीय त्योहारों को योजनाबद्ध तरीके से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन महोत्सवों के रूप में विकसित किया जाए तो भारत वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना सकता है।

दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली को मान्यता मिलने के बाद इस दिशा में संभावनाएं और बढ़ गई हैं। यह उपलब्धि भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के साथ-साथ पर्यटन के नए अवसर तैयार करने का आधार बन सकती है। दीपावली केवल एक दिन का पर्व नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी परंपराएं, धार्मिक आयोजन, बाजारों की सजावट, पारंपरिक व्यंजन, दीप निर्माण, रंगोली, हस्तशिल्प और सामुदायिक उत्सव कई दिनों तक चलते हैं। यदि इन सभी गतिविधियों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत जोड़कर पांच से सात दिन का अंतरराष्ट्रीय दीपावली महोत्सव आयोजित किया जाए तो विदेशी पर्यटकों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने और समझने का अवसर मिलेगा।

अयोध्या का दीपोत्सव, वाराणसी की देव दीपावली, जयपुर के रोशनी से सजे बाजार और उदयपुर के प्रकाशित महल पहले से ही देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन आयोजनों को एक व्यापक पर्यटन सर्किट से जोड़कर प्रस्तुत किया जा सकता है। पर्यटक एक ही यात्रा में धार्मिक परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहरों, लोक कलाओं, पारंपरिक संगीत और भारतीय खानपान का अनुभव कर सकेंगे। इससे केवल बड़े शहरों के होटल और पर्यटन कारोबार को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि छोटे दुकानदारों, स्थानीय परिवहन संचालकों, गाइडों, कारीगरों, फूल विक्रेताओं, मिठाई कारोबारियों और हस्तशिल्प से जुड़े परिवारों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। इस तरह त्योहारों को पर्यटन से जोड़ना स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

भारतीय त्योहारों का आर्थिक प्रभाव पहले से ही काफी व्यापक है। नवरात्रि और दीपावली के दौरान बाजारों में खरीदारी बढ़ जाती है। कपड़े, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, घरेलू सामान, मिठाइयां, सजावटी वस्तुएं और उपहारों की मांग में तेजी आती है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार त्योहारी सीजन में खुदरा कारोबार लगभग 3.75 लाख करोड़ से 4.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचता है। यदि दीपावली को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव के रूप में विकसित किया जाए और विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष यात्रा पैकेज तैयार किए जाएं तो इस आर्थिक गतिविधि का दायरा और बढ़ सकता है। इसका लाभ बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों को भी मिलेगा। स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा और 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को वास्तविक आर्थिक मजबूती मिल सकेगी।

दुनिया के कई देशों ने अपने सांस्कृतिक आयोजनों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाकर पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। ब्राजील का रियो कार्निवाल इसका प्रमुख उदाहरण है। पांच से छह दिन तक चलने वाले इस आयोजन में दुनिया के अलग-अलग देशों से लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। रंगीन परेड, सांबा नृत्य, संगीत और भव्य प्रस्तुतियां इस उत्सव को वैश्विक आकर्षण बनाती हैं। इसी तरह जर्मनी का म्यूनिख ओक्टोबरफेस्ट दुनिया के प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल है। लगभग 16 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन से होटल, परिवहन, खानपान, मनोरंजन और स्थानीय व्यापार को बड़े पैमाने पर लाभ मिलता है। आयरलैंड ने सेंट पैट्रिक दिवस को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान दिलाई है। जापान का स्नो फेस्टिवल, थाईलैंड का लैंटर्न फेस्टिवल, स्पेन का ला टोमाटीना और बेल्जियम का टुमारोलैंड भी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन आयोजनों से यह स्पष्ट होता है कि किसी देश की स्थानीय परंपरा भी उचित प्रचार, बेहतर आयोजन व्यवस्था और पर्यटन सुविधाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल कर सकती है।

भारत के पास इस मामले में दुनिया के अनेक देशों की तुलना में कहीं अधिक विविध सांस्कृतिक विरासत मौजूद है। यहां प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट परंपराएं, लोक नृत्य, संगीत, खानपान, हस्तशिल्प और उत्सव हैं। असम का बिहू केवल फसल उत्सव नहीं, बल्कि वहां की लोक संस्कृति, संगीत और सामुदायिक जीवन का परिचायक है। गुजरात का रण उत्सव कच्छ के विशाल सफेद रण, लोक संगीत, पारंपरिक वेशभूषा और हस्तशिल्प को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर देता है। नगालैंड का हार्नबिल महोत्सव विभिन्न जनजातियों की संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली से परिचित कराता है। राजस्थान का पुष्कर मेला पशुपालन, ग्रामीण जीवन और मरुस्थलीय संस्कृति का अनूठा संगम है। इन आयोजनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करके संबंधित राज्यों में पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं।

इसी तरह कर्नाटक का मैसूर दशहरा अपनी ऐतिहासिक परंपरा, राजसी शोभायात्रा और भव्य सजावट के लिए प्रसिद्ध है। केरल का ओणम पारंपरिक नौका दौड़, पुष्प सजावट, लोक नृत्य और विशेष भोज के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को अंतरराष्ट्रीय कला और प्रकाश महोत्सव के रूप में और व्यापक स्तर पर विकसित किया जा सकता है। दुर्गा पूजा के दौरान तैयार होने वाले विशाल पंडाल, मूर्तिकला, रोशनी और कलात्मक सजावट अपने आप में एक बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र का गणेशोत्सव, तमिलनाडु का पोंगल, पंजाब की बैसाखी, बिहार का सोनपुर मेला और छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं।

मध्य प्रदेश का खजुराहो नृत्य महोत्सव, ओडिशा का कोणार्क नृत्य महोत्सव, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू दशहरा और उत्तराखंड की नंदा देवी राजजात तथा फूलदेई जैसी परंपराएं भी भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती हैं। इन आयोजनों के माध्यम से विदेशी पर्यटकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, पारंपरिक रीति-रिवाजों और प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य को अपने प्रमुख उत्सव का चयन करके उसे पांच से सात दिन के व्यवस्थित अंतरराष्ट्रीय महोत्सव के रूप में विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। आयोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वच्छता, आवागमन और पर्यटकों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस दिशा में एक राष्ट्रीय महोत्सव कैलेंडर तैयार करना भी आवश्यक है। इसके अंतर्गत देश के सभी प्रमुख त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों की तिथियां, स्थान, विशेष आकर्षण और पर्यटन सुविधाओं की जानकारी एक मंच पर उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे विदेशी पर्यटक अपनी यात्रा की योजना पहले से बना सकेंगे। पर्यटन स्थलों के बीच बेहतर परिवहन संपर्क, विशेष ट्रेनें, हवाई सेवाएं, होटल और होमस्टे की व्यवस्था भी विकसित करनी होगी। साथ ही डिजिटल माध्यमों पर विभिन्न भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि विदेशी पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

विदेशों में बसे भारतीय मूल के नागरिक भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले लगभग 3.2 करोड़ प्रवासी भारतीय अपनी संस्कृति और परंपराओं से गहरा जुड़ाव रखते हैं। उन्हें भारतीय त्योहारों के दौरान स्वदेश आने के लिए विशेष पर्यटन पैकेज उपलब्ध कराए जा सकते हैं। 'इनक्रेडिबल इंडिया' जैसे आधिकारिक पर्यटन मंचों के माध्यम से यात्रा बुकिंग, स्थानीय गाइड, रूट मैप, होटल और सांस्कृतिक आयोजनों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे प्रवासी भारतीयों की नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, पारिवारिक परंपराओं और भारतीय संस्कृति से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।

विदेशी पर्यटकों को केवल बड़े होटलों और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें भारतीय परिवारों के साथ त्योहार मनाने का अवसर देना चाहिए। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पारंपरिक भोजन बनाने, मिट्टी के दीपक तैयार करने, रंगोली सजाने, लोकगीत सुनने और स्थानीय रीति-रिवाजों को समझने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। स्थानीय महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों को भी इन आयोजनों से जोड़ा जाना चाहिए। इससे पर्यटन से होने वाली आय का लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचेगा।

इस पूरी योजना को सफल बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राज्य सरकारों, निजी पर्यटन कंपनियों, होटल एसोसिएशनों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय जरूरी है। भारतीय दूतावासों और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों के माध्यम से इन महोत्सवों का प्रचार किया जाना चाहिए। विदेशी टूर ऑपरेटरों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाएं और डिजिटल मीडिया के जरिए भारत के त्योहारों की वास्तविक झलक दुनिया तक पहुंचाई जाए। आयोजन स्थलों पर स्वच्छता, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, महिला पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखना होगा। त्योहारों के नाम पर स्थानीय संस्कृति का व्यावसायीकरण न हो, बल्कि उसकी मौलिकता और परंपराओं को सुरक्षित रखा जाए।

वास्तव में भारतीय त्योहार देश की सांस्कृतिक पूंजी हैं। इन्हें वैश्विक पर्यटन से जोड़ना केवल विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार,

टेक्नॉलॉजी

अब मोबाइल की तस्वीरें और वीडियो PC में होंगे अपने आप सेव, केबल और मैनुअल ट्रांसफर से मिलेगी मुक्ति

स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही लोगों के मोबाइल में फोटो और वीडियो की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। शादी-विवाह, पारिवारिक समारोह, यात्राओं और रोजमर्रा की गतिविधियों की यादें कैमरे में कैद करने के कारण फोन की स्टोरेज जल्दी भर जाती है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि नई तस्वीर लेने या कोई जरूरी एप डाउनलोड करने के लिए पुरानी फाइलों को हटाना पड़ता है। ऐसे में लोगों को अपने जरूरी फोटो और वीडियो लैपटॉप या कंप्यूटर में ट्रांसफर करने पड़ते हैं। अब Android यूजर्स के लिए यह परेशानी काफी हद तक आसान हो सकती है। गूगल अपने Quick Share फीचर के जरिए फोन में मौजूद फोटो और वीडियो को Windows PC में अपने आप बैकअप करने की सुविधा पेश कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर्स को बार-बार तस्वीरें चुनकर भेजने, डेटा केबल लगाने या मैनुअल तरीके से फाइल ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

गूगल का Quick Share पहले से ही Android स्मार्टफोन और अन्य समर्थित डिवाइसों के बीच फाइल साझा करने का लोकप्रिय माध्यम है। इसकी मदद से फोटो, वीडियो, दस्तावेज और दूसरी फाइलें वायरलेस तरीके से भेजी जा सकती हैं। अब इसमें ऑटोमैटिक बैकअप की सुविधा जुड़ने से इसका इस्तेमाल और अधिक उपयोगी हो सकता है। खास बात यह है कि इस व्यवस्था में यूजर को हर बार फोन से कंप्यूटर पर फाइल भेजने की प्रक्रिया दोहरानी नहीं होगी। एक बार जरूरी सेटिंग पूरी होने और सुविधा सक्रिय होने के बाद समर्थित फोटो और वीडियो कंप्यूटर में अपने आप सेव किए जा सकेंगे। इससे मोबाइल की स्टोरेज पर पड़ने वाला दबाव कम करने के साथ जरूरी यादों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले Android स्मार्टफोन में Google Play Services का नया और समर्थित वर्जन होना जरूरी है। इसके अलावा Windows कंप्यूटर में Quick Share एप का अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। फोन और कंप्यूटर दोनों में एक ही Google अकाउंट से साइन-इन करना भी आवश्यक होगा। दोनों डिवाइस एक-दूसरे के नजदीक होने चाहिए, ताकि उनके बीच वायरलेस कनेक्शन स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही कंप्यूटर में पर्याप्त खाली स्टोरेज होना जरूरी है, क्योंकि फोन से आने वाली तस्वीरों और वीडियो को सेव करने के लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता होगी। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले Windows कंप्यूटर पर Quick Share एप खोलना होगा। इसके बाद Android स्मार्टफोन को कंप्यूटर के पास रखना होगा। दोनों डिवाइस में एक ही Google अकाउंट से लॉग-इन होने के बाद उपलब्ध कनेक्शन और बैकअप विकल्पों को देखना होगा। यदि संबंधित फोन और कंप्यूटर पर ऑटोमैटिक बैकअप की सुविधा उपलब्ध हो गई है तो Quick Share की सेटिंग्स में जाकर इस विकल्प को सक्रिय किया जा सकता है। शुरुआती सेटअप पूरा होने के बाद समर्थित फोटो और वीडियो कंप्यूटर में अपने आप सेव होने लगेंगे। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सुविधा का विकल्प तभी दिखाई देगा, जब संबंधित डिवाइस और एप के लिए इसका रोलआउट उपलब्ध हो चुका होगा।

गूगल की ओर से इस फीचर का रोलआउट चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सभी Android स्मार्टफोन और Windows कंप्यूटर यूजर्स को यह सुविधा एक साथ नहीं मिलेगी। कुछ लोगों के डिवाइस में अपडेट आने के बाद भी ऑटोमैटिक बैकअप का विकल्प तुरंत दिखाई नहीं दे सकता है। इसकी वजह फीचर की क्षेत्रवार और डिवाइस के अनुसार उपलब्धता हो सकती है। ऐसे में यूजर्स को Google Play Services और Windows Quick Share एप को अपडेट रखना चाहिए। साथ ही समय-समय पर एप की सेटिंग्स में जाकर नए विकल्पों की जांच करनी चाहिए।

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को हो सकता है, जो अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल लगातार फोटो और वीडियो बनाने के लिए करते हैं। कंटेंट क्रिएटर, पत्रकार, फोटोग्राफर, सोशल मीडिया यूजर्स और ऐसे लोग जिनके मोबाइल में बड़ी संख्या में पारिवारिक तस्वीरें मौजूद रहती हैं, उनके लिए यह फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी यात्रा के दौरान ली गई तस्वीरों को बार-बार कंप्यूटर में भेजने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह किसी कार्यक्रम या समारोह में बनाए गए वीडियो को भी कंप्यूटर में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। इससे मोबाइल में जगह खाली करने और जरूरी फाइलों को व्यवस्थित रखने में सुविधा मिलेगी।

अब तक फोन से कंप्यूटर में फोटो और वीडियो भेजने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। कुछ लोग USB केबल के जरिए मोबाइल को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, जबकि अन्य लोग ब्लूटूथ, क्लाउड स्टोरेज या अलग-अलग फाइल शेयरिंग एप का सहारा लेते हैं। हालांकि, बड़ी वीडियो फाइलों को ट्रांसफर करने में समय लग सकता है और कई बार कनेक्शन की समस्या भी सामने आती है। Quick Share का उद्देश्य वायरलेस तरीके से फाइल साझा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। ऑटोमैटिक बैकअप का विकल्प मिलने से यूजर्स को बार-बार फाइलों का चयन करने और ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत कम हो जाएगी।

विचार प्रवाह

CAT 2026 का प्रवेश-पत्र जारी, 29 नवंबर को तीन पालियों में होगी परीक्षा

देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में दाखिले की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) इंदौर की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कैट परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाना है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा की तारीख नजदीक आने का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें।

कैट देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है। इसके माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थानों सहित देश के कई प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में एमबीए और अन्य प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर मिलता है। हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। परीक्षा के परिणाम और आगे की प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थानों में दाखिले का अवसर मिलता है। इसलिए उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड केवल परीक्षा में प्रवेश का दस्तावेज नहीं, बल्कि परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारियों का आधिकारिक माध्यम भी है।

आईआईएम इंदौर की ओर से जारी प्रवेश-पत्र में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तारीख, निर्धारित शिफ्ट और अन्य आवश्यक निर्देश दर्ज रहेंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले अपना नाम, आवेदन से संबंधित विवरण और परीक्षा केंद्र की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गलती या विसंगति दिखाई देने पर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि समय रहते संबंधित आधिकारिक माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी आसान रखी गई है। इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले कैट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध एडमिट कार्ड या लॉगिन सेक्शन में जाकर CAT Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार के सामने लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आवेदन संख्या, जन्मतिथि और स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड जैसी आवश्यक जानकारी भरनी होगी। सभी विवरण सही तरीके से दर्ज करने के बाद सबमिट करते ही प्रवेश-पत्र स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा के लिए इसका स्पष्ट प्रिंट आउट निकालकर रखना भी जरूरी है, ताकि परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इस वर्ष कैट परीक्षा का आयोजन तीन अलग-अलग पालियों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 10 बजकर 30 मिनट तक चलेगी। दूसरी पाली दोपहर 12 बजकर 30 मिनट से 2 बजकर 30 मिनट तक निर्धारित है, जबकि तीसरी पाली शाम 4 बजकर 30 मिनट से 6 बजकर 30 मिनट तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को किस पाली में परीक्षा देनी है, इसकी जानकारी उनके एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा की शिफ्ट और रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

परीक्षा केंद्र को लेकर भी उम्मीदवारों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कई बार अभ्यर्थी केवल परीक्षा की तारीख याद रखते हैं और केंद्र के पते या वहां पहुंचने में लगने वाले समय पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में परीक्षा के दिन अनावश्यक परेशानी हो सकती है। इसलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करते ही परीक्षा केंद्र का पूरा पता देख लें। यदि केंद्र किसी दूसरे शहर या दूरस्थ क्षेत्र में आवंटित हुआ है, तो वहां पहुंचने की योजना पहले से बना लें। परीक्षा के दिन निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचना बेहतर रहेगा।

अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ निर्धारित पहचान-पत्र की आवश्यकता हो सकती है। कौन-से पहचान-पत्र मान्य होंगे और किन वस्तुओं को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी, इसकी जानकारी आधिकारिक निर्देशों से अवश्य प्राप्त करें। एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। प्रवेश-पत्र पर दर्ज निर्देशों को नजरअंदाज करने से परीक्षा के दिन कठिनाई हो सकती है।

कैट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अब तैयारी के साथ-साथ समय प्रबंधन और परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर ध्यान देना भी जरूरी है। अंतिम दिनों में नए विषयों को शुरू करने के बजाय पहले से पढ़े गए महत्वपूर्ण टॉपिक का दोहराव करना, मॉक टेस्ट का विश्लेषण करना और अपनी कमजोरियों पर काम करना उपयोगी हो सकता है। परीक्षा के प्रारूप और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करने से उम्मीदवारों को वास्तविक परीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है।

आईआईएम और अन्य प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश पाने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए कैट एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और किसी अनधिकृत वेबसाइट या सोशल मीडिया पर उपलब्ध लिंक के आधार पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। प्रवेश-पत्र की एक से अधिक प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा। परीक्षा से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने और निर्देशों का पालन करने से अभ्यर्थी बिना अनावश्यक तनाव के परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

फैक्ट ऑफ द डे

संघर्ष, संगठन और समर्पण से शिखर तक पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी, भारतीय राजनीति के एक युग का नाम

भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिनका योगदान केवल किसी पद या सरकार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी ऐसे ही नेताओं में गिने जाते हैं। संगठनात्मक क्षमता, राजनीतिक संघर्ष, वैचारिक प्रतिबद्धता और लंबे सार्वजनिक जीवन के कारण उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। भारतीय जनता पार्टी को एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने की यात्रा में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। वह पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे और तीन बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। देश के उपप्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति को कई निर्णायक मोड़ पर प्रभावित किया। वर्ष 2024 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम

गुजरात में 'अटल स्वान्तः सुखाय योजना' के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, 15 नवंबर अंतिम तिथि

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों की रचनात्मक सोच, नए प्रयोगों तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित 'अटल स्वान्तः सुखाय योजना' के अंतर्गत परियोजनाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत किसी भी परियोजना का पंजीकरण और नामांकन ऑनलाइन माध्यम से कराना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने चालू वर्ष के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को 15 नवंबर 2026 तक निर्धारित पोर्टल पर अपनी परियोजनाओं का पंजीकरण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहले ही लिखित रूप में अपनी परियोजनाओं का पंजीकरण करा लिया है, उन्हें भी दोबारा ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक पोर्टल assy.gujarat.gov.in उपलब्ध कराया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागों के सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। विभागों को कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों तक योजना की जानकारी पहुंचाएं तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण और नामांकन सुनिश्चित करें। सरकार का उद्देश्य इस योजना को अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाना और उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाले नए विचारों तथा उपयोगी परियोजनाओं को सामने लाने के लिए प्रेरित करना है। इसके तहत केवल नई परियोजनाओं को ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने वाले ऐसे प्रयोगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनसे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिल सके।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में लिखित आवेदन या पंजीकरण कराने वाले कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करना न भूलें। केवल पहले से जमा किए गए लिखित दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। सभी पात्र प्रतिभागियों को assy.gujarat.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी परियोजनाओं का विवरण दर्ज करना होगा। 15 नवंबर की समय सीमा को देखते हुए विभागों को अपने स्तर पर कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने और पंजीकरण प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों और परियोजनाओं का विवरण एक ही डिजिटल मंच पर व्यवस्थित किया जा सकेगा।



उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। राज्य सरकार ने पहले से संचालित स्वान्तः सुखाय योजना का विस्तार करते हुए 17 फरवरी 2025 को इसे 'अटल स्वान्तः सुखाय योजना' के रूप में लागू किया था। इसके बाद 23 अप्रैल 2026 को योजना के प्रावधानों में संशोधन भी किए गए। इस योजना का मूल उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी नियमित जिम्मेदारियों के साथ-साथ ऐसे रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिनसे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

सरकारी विभागों में कई बार ऐसे छोटे-छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम दे सकते हैं, जिनसे कामकाज का समय कम हो, संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और आम लोगों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में आसानी हो। इसी सोच के साथ अटल स्वान्तः सुखाय योजना के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को महत्व दिया जाता है, जिनमें नवीन कार्यपद्धतियों और व्यावहारिक समाधानों के माध्यम से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकें। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के भीतर छिपी रचनात्मक क्षमता को सामने लाना और उन्हें प्रशासनिक सुधारों में सक्रिय भागीदार बनाना है। योजना के माध्यम से सरकारी व्यवस्था में नवाचार को केवल विचार तक सीमित रखने के बजाय उसे जमीन पर लागू करने के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस योजना में राज्य सरकार के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा विभिन्न बोर्ड और निगमों के वर्ग-1 से वर्ग-4 तक के अधिकारी एवं कर्मचारी भाग ले सकते हैं। पात्र अधिकारी और कर्मचारी अपनी परियोजनाएं व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुत कर सकते हैं और समूह बनाकर भी उन पर काम कर सकते हैं। इससे अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलकर किसी समस्या का समाधान तलाशने और सामूहिक प्रयास से बेहतर परिणाम हासिल करने का अवसर मिलता है। योजना का दायरा केवल सचिवालय या राज्य स्तर के कार्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण, तहसील, जिला, राज्य और सचिवालय स्तर पर परियोजनाएं प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। बोर्ड और निगम भी अपने कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेदारियों के अनुरूप इस योजना में भाग ले सकते हैं।

योजना के तहत परियोजनाओं का चयन उनके कार्यक्षेत्र, उपयोगिता और प्राप्त परिणामों के आधार पर किया जाना है। ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर है, जिनसे सरकारी कामकाज की प्रक्रिया सरल बने, कार्यों को पूरा करने में लगने वाला समय कम हो और आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार आए। उदाहरण के तौर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और जनसमस्याओं के समाधान में नई कार्यपद्धतियां अपनाने जैसे प्रयास इस योजना की भावना के अनुरूप हैं। हालांकि, किसी परियोजना की पात्रता और मूल्यांकन योजना में निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।

योजना के प्रावधानों में परियोजनाओं के पूरा होने की समय सीमा भी महत्वपूर्ण रखी गई है। प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक पूर्ण की गई परियोजनाओं को ही पुरस्कार के लिए पात्र माना जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तुत किए गए विचार केवल प्रस्ताव या कागजी योजना बनकर न रह जाएं, बल्कि उन्हें निर्धारित अवधि में लागू कर उनके परिणाम भी सामने आएं। परियोजना को पूरा करने के बाद उसके प्रभाव और उपयोगिता का आकलन किया जा सके, ताकि यह समझा जा सके कि संबंधित पहल से प्रशासनिक कामकाज या नागरिकों को वास्तव में कितना लाभ मिला है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। विभागों से कहा गया है कि वे अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना की पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया तथा परियोजनाओं से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दें। कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और उन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से परियोजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक अधिकारी और कर्मचारी अपनी कार्यक्षमता, अनुभव और नए विचारों के आधार पर ऐसी पहल करें, जिनसे सरकारी व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।

ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य करने के फैसले से योजना के संचालन में डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एक ही पोर्टल पर परियोजनाओं का विवरण उपलब्ध होने से आवेदन संबंधी जानकारी व्यवस्थित रखने और नामांकन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायता मिल सकती है। साथ ही विभागों के लिए यह जानना भी आसान होगा कि उनके यहां से कितनी परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं और किन स्तरों पर कर्मचारियों की भागीदारी हो रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पुराने लिखित आवेदनों को भी डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का दृष्टिकोण है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिभा तथा अनुभव का उपयोग जनकल्याण के कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से किया जाए। अटल स्वान्तः सुखाय योजना इसी दिशा में एक पहल है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को अपने नियमित कार्यों से आगे बढ़कर नए समाधान खोजने और उन्हें लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार की ओर से 15 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने की समय सीमा निर्धारित किए जाने के बाद अब संबंधित विभागों और कर्मचारियों के सामने इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी है।

कुल मिलाकर, अटल स्वान्तः सुखाय योजना को ऑनलाइन पंजीकरण से जोड़ना गुजरात सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया को डिजिटल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकारी कर्मचारियों के नवाचार, रचनात्मकता और जनहितकारी प्रयासों को एक मंच पर लाने का अवसर मिलेगा। यदि योजना के तहत प्रस्तुत परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता, प्रशासनिक कार्यक्षमता और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

शरद पवार से अस्पताल में मिले एकनाथ शिंदे बोले- राजनीति से परे भी होते हैं कुछ रिश्ते

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में अलग-अलग दलों और विचारधाराओं के बीच भले ही राजनीतिक मतभेद देखने को मिलते हों, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्तों की अपनी अलग अहमियत होती है। इसी भावना का उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख और वरिष्ठ नेता शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पवार के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुलाकात के बाद शिंदे ने स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि एक वरिष्ठ नेता और पारिवारिक संबंधों के नाते वह उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राजनीति से परे भी कुछ रिश्ते होते हैं और पवार साहब के साथ उनका संबंध केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है।



एकनाथ शिंदे ने अस्पताल में शरद पवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वह उनकी तबीयत जानने के लिए पहुंचे थे। दोनों के बीच स्वास्थ्य को लेकर बातचीत हुई और अब उनकी स्थिति ठीक है। शिंदे ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में उपचार करा रहे शरद पवार ने बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा की। उपमुख्यमंत्री ने इस बात को महत्वपूर्ण बताया कि अपनी बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद पवार किसानों की समस्याओं और उनके हितों को लेकर चिंतित हैं। उनके अनुसार, किसानों के विषय पर पवार की सक्रियता उनके सार्वजनिक जीवन और ग्रामीण मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शिंदे ने कहा कि शरद पवार को अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने मुलाकात के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसे किसी राजनीतिक घटनाक्रम या राजनीतिक संदेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य की जानकारी लेने जाना उनका व्यक्तिगत निर्णय था। उन्होंने कहा, "राजनीति से परे भी कुछ रिश्ते होते हैं। पवार साहब और मेरा रिश्ता राजनीति तक सीमित नहीं है।" शिंदे ने यह भी बताया कि जब भी पवार को कोई सवाल या विषय होता है, तो वह उन्हें फोन करते हैं। दोनों परिवारों के बीच भी अच्छे संबंध हैं और इसी वजह से उनका रिश्ता राजनीतिक समीकरणों से अलग है। दरअसल, शरद पवार को पहले पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी मिलने के बाद बुधवार को दक्षिण मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहने वाले शरद पवार का विभिन्न दलों के नेताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क रहा है। ऐसे में अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचने वाले नेताओं में राजनीतिक मतभेद रखने वाले चेहरे भी शामिल रहे। एकनाथ शिंदे की मुलाकात इसी क्रम में महत्वपूर्ण रही, हालांकि उन्होंने इसे पूरी तरह व्यक्तिगत और सद्भावना से जुड़ी मुलाकात बताया। एकनाथ शिंदे से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने भी अस्पताल पहुंचकर शरद पवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात ने भी राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया। इसकी वजह यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद दोनों गुटों के नेताओं के बीच राजनीतिक दूरी और अलग-अलग रणनीतियां देखने को मिली हैं। ऐसे समय में प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार की बातचीत को केवल औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखने के बजाय पुराने संबंधों के संदर्भ में भी चर्चा की जा रही है। हालांकि, इस मुलाकात से किसी नए राजनीतिक समीकरण या संगठनात्मक बदलाव का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

त्योहारों के बीच रेल यात्रियों को राहत, पश्चिम रेलवे चलाएगी बांद्रा-खातीपुरा और उधना-बरौनी स्पेशल ट्रेनें

अहमदाबाद। दीपावली और छठ पूजा के दौरान रेल यात्रियों की बढ़ती आवाजाही तथा विभिन्न गंतव्यों के लिए अतिरिक्त यात्रा मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने दो विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के माध्यम से गुजरात से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। पश्चिम रेलवे की ओर से बांद्रा टर्मिनस-खातीपुरा और उधना-बरौनी के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। दोनों ट्रेनें दो-दो फेरे लगाएंगी। इनके संचालन से नियमित ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच यात्रियों को एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। खासकर सूरत, वडोदरा, भरूच, भुसावल, जबलपुर, प्रयागराज, बक्सर, आरा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से यात्रा करने वाले लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यात्रियों की सुविधा और यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए इन विशेष सेवाओं की व्यवस्था की गई है। पहली ट्रेन बांद्रा टर्मिनस और राजस्थान के खातीपुरा के बीच संचालित होगी, जबकि दूसरी ट्रेन गुजरात के उधना से बिहार के बरौनी के बीच चलेगी। दोनों सेवाओं में एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। इस कोच संरचना से अलग-अलग श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी सुविधा और बजट के अनुसार विकल्प मिल सकेंगे।

बांद्रा टर्मिनस-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन संख्या 09718 गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को शाम 16:30 बजे मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन यानी 13 नवंबर को दोपहर 15:05 बजे राजस्थान के खातीपुरा स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09717 खातीपुरा-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल बुधवार, 11 नवंबर 2026 को दोपहर 15:15 बजे खातीपुरा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 15:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन का संचालन दोनों दिशाओं में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। गुजरात और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा उपयोगी साबित हो सकती है।

इस ट्रेन का मार्ग कई महत्वपूर्ण शहरों और रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेगा। दोनों दिशाओं में ट्रेन बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर स्टेशनों पर ठहरेगी। इन ठहरावों के कारण मुंबई और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ-साथ गुजरात के विभिन्न शहरों से चढ़ने और उतरने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से सूरत, वडोदरा, भरूच और वलसाड जैसे प्रमुख स्टेशनों से राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन का विकल्प मिलेगा। वहीं अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह सेवा महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरी विशेष ट्रेन उधना और बरौनी के बीच चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 09039 उधना-बरौनी स्पेशल मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को दोपहर 15:00 बजे गुजरात के उधना स्टेशन से रवाना होगी। निर्धारित मार्ग से होते हुए यह ट्रेन गुरुवार को सुबह 04:00 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09040 बरौनी-उधना स्पेशल गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को सुबह 08:30 बजे बरौनी से प्रस्थान करेगी और शनिवार को रात 01:30 बजे उधना पहुंचेगी। यह सेवा गुजरात से बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी। बिहार के अलग-अलग जिलों में छठ पूजा मनाने के लिए जाने वाले लोगों को इस ट्रेन से यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

उधना-बरौनी स्पेशल ट्रेन का मार्ग भी कई राज्यों और महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों से होकर निर्धारित किया गया है। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन चलथान, बारडोली, नंदुरबार, दोंडाईचा, अमलनेर, धरणगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर स्टेशनों पर ठहरेगी। इस मार्ग से दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को लाभ मिल सकता है। विशेष रूप से प्रयागराज छिवकी, बक्सर, आरा, दानापुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जैसे स्टेशनों पर ठहराव होने से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। उधना-बरौनी ट्रेन में भी एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अलग-अलग श्रेणियों में टिकट उपलब्ध होने का विकल्प मिलेगा। त्योहारों के दौरान खासकर सामान्य और स्लीपर श्रेणी में सीटों की मांग अधिक रहने के कारण अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का संचालन यात्रियों के दबाव को कम करने में मददगार हो सकता है।

जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाने को आगे आया साबरमती लोकोमोटिव शेड

अहमदाबाद। सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल स्थित साबरमती लोकोमोटिव शेड ने जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए विशेष दान अभियान आयोजित किया। 7 नवंबर को आयोजित इस अभियान में शेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने घरों से उपयोगी कपड़े, बच्चों के खिलौने और पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी स्टेशनरी सामग्री एकत्र की और इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था रॉबिन हुड आर्मी के प्रतिनिधियों को सौंप दिया।



इस पहल का उद्देश्य समाज के उन लोगों की मदद करना था, जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतों और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी सामग्री जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभियान के तहत पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के उपयोग योग्य कपड़े एकत्र किए गए। इसके साथ ही बच्चों के लिए खिलौने और विद्यार्थियों के काम आने वाली स्टेशनरी भी दान की गई। रेलवे कर्मचारियों ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर इस सामाजिक अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दान की गई सामग्री को रॉबिन हुड आर्मी के प्रतिनिधियों को सौंपा गया, ताकि इसे जरूरतमंद परिवारों और बच्चों तक पहुंचाया जा सके। इस तरह की पहल न केवल जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में मदद करती है, बल्कि समाज में आपसी सहयोग और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत बनाती है। मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने इस अभियान में अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए किए गए ऐसे प्रयास समाज में सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता का सकारात्मक संदेश देते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को भविष्य में भी इस तरह की सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। साबरमती लोकोमोटिव शेड की यह पहल इस बात का उदाहरण है कि सामूहिक प्रयासों से छोटी-छोटी मदद भी जरूरतमंद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। रेलवे कर्मचारियों के इस योगदान से जहां जरूरतमंद परिवारों को उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी, वहीं बच्चों की शिक्षा और खुशियों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

त्योहार से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई चारोटी में 3,939 किलो मावा-मिठाई जब्त

पालघर। दीपावली के त्योहार से पहले मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच महाराष्ट्र के पालघर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावट और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चारोटी टोल नाके पर जांच के दौरान दो वाहनों से कुल 3,939 किलोग्राम मावा, मीठा हलवा और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां जब्त की गईं। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 10 लाख 84 हजार 440 रुपये बताई गई है। इतनी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खेप पकड़े जाने के बाद त्योहारों के दौरान बाजार में पहुंचने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता और उनकी सुरक्षित आपूर्ति को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, चारोटी टोल नाके पर वाहनों की जांच के दौरान एक निजी बस से 238 किलोग्राम मावा और 133 किलोग्राम मीठा हलवा बरामद किया गया। इसके अलावा दूसरे वाहन की तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री मिली। इस वाहन से 388 किलोग्राम मावा, 1,832 किलोग्राम मीठा हलवा और 1,366 किलोग्राम मिठाई जब्त की गई। दोनों वाहनों से बरामद कुल सामग्री का वजन 3,939 किलोग्राम है। प्रशासन ने पूरी खेप को अपने कब्जे में लेकर खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की।

यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे के आदेश पर तथा सहायक आयुक्त प्रवीण सूर्यवंशी के निर्देशन में की गई। त्योहारों के दौरान मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों की खपत सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बढ़ जाती है। इसी अवधि में दूसरे शहरों और राज्यों से भी बड़ी मात्रा में मावा, मिठाई तथा अन्य खाद्य सामग्री बाजारों तक पहुंचाई जाती है। ऐसे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उनके निर्माण की स्थिति, भंडारण और परिवहन की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। चारोटी टोल नाके पर की गई कार्रवाई इसी निगरानी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। मावा और उससे तैयार होने वाली मिठाइयों की मांग दीपावली के आसपास विशेष रूप से बढ़ जाती है। पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, कलाकंद और अन्य पारंपरिक मिठाइयों के निर्माण में मावा का व्यापक इस्तेमाल होता है। मांग बढ़ने के साथ बाजार में सस्ते और जल्दी तैयार होने वाले उत्पादों की आपूर्ति भी बढ़ती है। ऐसी स्थिति में यदि खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार या सुरक्षित तरीके से परिवहन नहीं किए जाते हैं, तो उपभोक्ताओं की सेहत पर असर पड़ सकता है।

लक्ष्मी पूजन पर नागपुर मेट्रो की सेवाएं शाम छह बजे तक, चारों टर्मिनल से चलेगी आखिरी ट्रेन

नागपुर। दीपावली के पावन अवसर पर लक्ष्मी पूजन को ध्यान में रखते हुए नागपुर मेट्रो रेल प्रशासन ने रविवार, 8 नवंबर को यात्री सेवाओं के संचालन समय में बदलाव किया है। इस दिन मेट्रो की सेवाएं सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी। शहर के चारों टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी ट्रेन शाम छह बजे रवाना होगी। इसके बाद मेट्रो का यात्री संचालन बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे बदली हुई समय-सारिणी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि उन्हें स्टेशन पहुंचने के बाद किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

नागपुर मेट्रो रेल के अनुसार, लक्ष्मी पूजन के दिन खापरी, लोकमान्यनगर, ऑटोमोटिव चौक और प्रजापतिनगर टर्मिनल से सुबह छह बजे पहली ट्रेन रवाना होगी। इन चारों टर्मिनल स्टेशनों से शाम छह बजे अंतिम ट्रेन का संचालन किया जाएगा। सामान्य दिनों की तुलना में इस दिन मेट्रो सेवाएं सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेंगी। शाम छह बजे के बाद यात्रियों को मेट्रो की सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए शाम के समय यात्रा करने वाले लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही का कार्यक्रम पहले से तय करने की सलाह दी गई है।

मेट्रो प्रशासन ने बताया कि 8 नवंबर को सभी मार्गों पर ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर संचालित की जाएंगी। यानी यात्रियों को सामान्य परिचालन व्यवस्था के बजाय निर्धारित 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध होगी। त्योहार के कारण समय-सारिणी में किए गए इस बदलाव की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने अपील की है कि लोग यात्रा से पहले अंतिम ट्रेन के समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

दीपावली के दिन शहर में लक्ष्मी पूजन, धार्मिक कार्यक्रमों और पारिवारिक आयोजनों के कारण लोगों की दिनचर्या सामान्य दिनों से अलग रहती है। कई यात्री खरीदारी, रिश्तेदारों से मिलने और अन्य जरूरी कार्यों के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में मेट्रो के संचालन समय में बदलाव की जानकारी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषकर शाम को घर लौटने या किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि शाम छह बजे के बाद मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी।

मेट्रो प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल लक्ष्मी पूजन के दिन के लिए किया गया है। सोमवार, 9 नवंबर से नागपुर मेट्रो की यात्री सेवाएं फिर से सामान्य समय-सारिणी के अनुसार शुरू हो जाएंगी। इसके बाद यात्रियों को पहले की तरह नियमित परिचालन व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे त्योहार के दिन निर्धारित समय के अनुसार ही स्टेशन पहुंचें और अंतिम ट्रेन छूटने से पहले अपनी यात्रा पूरी करने की योजना बनाएं। समय-सारिणी में बदलाव का उद्देश्य त्योहार के अवसर पर परिचालन व्यवस्था को व्यवस्थित रखना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी जरूरी यात्रा के लिए अंतिम समय पर निर्भर न रहें और मेट्रो की उपलब्धता के अनुसार अपने कार्यक्रम तय करें।

देश में छात्रों की आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई: राज्यों से स्पष्टीकरण मांगा

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

भारत जैसे देश में, अभिभावकों का विशाल समुदाय इस बात से बेहद चिंतित है कि एक ही वर्ष में लगभग 14 हजार छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। इस प्रकार, आत्महत्या के मूल कारणों में शैक्षणिक दबाव, छात्रों की कमजोरी और व्यवस्थागत विफलता को शामिल किया जा सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि हमारी व्यवस्था असंवेदनशील क्यों होती जा रही है? और यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब राज्य सरकारों को तलब कर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही यह सवाल भी पूछा गया है कि क्या देश के सभी शिक्षण संस्थान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं?

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। ब्यूरो ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2025 में देश के शिक्षण संस्थानों में 13,892 छात्रों की मृत्यु हुई। सबसे दुखद बात यह है कि पिछले एक दशक में इस संख्या में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि हम इस आंकड़े की तुलना वर्ष 2019 से करें, तो यह वृद्धि 34 प्रतिशत दर्ज की गई है।

स्पष्ट रूप से, यह वृद्धि छात्रों की भविष्य को लेकर मानसिक पीड़ा, हताशा और निराशा को दर्शाती है। हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियां भी इन आत्महत्याओं की जड़ में हैं। जहां अमीर परिवारों के बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, वहीं बाकी सीटें उनके महंगे कोचिंग सेंटरों में भर जाती हैं। लाखों छात्र शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अपनी सारी ऊर्जा अपने ज्ञान को अंग्रेजी में अ

दीपावली-छठ पर रेलवे का विशेष एक्शन प्लान, छह दिनों में 8.20 लाख यात्रियों ने किया सफर

अहमदाबाद मंडल से नवंबर में 73 विशेष ट्रेन ट्रिप्स का संचालन, डीआरएम वेद प्रकाश ने देर रात स्टेशन पहुंचकर संभाली व्यवस्थाओं की कमान; वॉर रूम से 24 घंटे निगरानी

अहमदाबाद। दीपावली और छठ महापर्व के अवसर पर अपने घरों की ओर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने रेल परिचालन से लेकर स्टेशन प्रबंधन तक व्यापक इंतजाम किए हैं। त्योहारों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन, होल्डिंग एरिया, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, खाद्य सामग्री और चौबीसों घंटे निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। मंडल के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 6 नवंबर 2026 के बीच मात्र छह दिनों में अहमदाबाद मंडल के विभिन्न स्टेशनों से 8.20 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। यात्रियों की इस भारी आवाजाही को संभालने के लिए नवंबर महीने में विभिन्न गंतव्यों के लिए कुल 73 विशेष ट्रेन ट्रिप्स संचालित की जा रही हैं।

त्योहारी भीड़ के बीच व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानने और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) वेद प्रकाश ने स्वयं मोर्चा संभाला। वे देर रात अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे और पूरी रात अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर में मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने केवल कार्यालय से निर्देश देने के बजाय ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यात्रियों की आवाजाही, प्लेटफॉर्म पर भीड़, होल्डिंग एरिया और ट्रेन में चढ़ने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों से लगातार जानकारी लेते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से ट्रेनों में बैठाया जाए और स्टेशन पर अनावश्यक अफरा-तफरी की स्थिति पैदा न हो।

निरीक्षण के दौरान डीआरएम वेद प्रकाश ने उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों से सीधे बातचीत की। उन्होंने यात्रियों से उनकी यात्रा के अनुभव, स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं और ट्रेन में बैठने के इंतजामों के बारे में जानकारी ली। साथ ही छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए यात्रियों से कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में सवार होने और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की। इस दौरान यात्रियों में भी उत्साह देखने को मिला। कई यात्रियों ने डीआरएम के साथ 'छठ मइया की जय' का जयघोष किया। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बताया कि कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें व्यवस्थित तरीके से ट्रेनों में बैठाया गया, जिससे घर जाने की यात्रा अपेक्षाकृत सुविधाजनक बनी।

अहमदाबाद मंडल के आंकड़ों के मुताबिक, 1 नवंबर से 6 नवंबर 2026 तक कुल 8.20 लाख से अधिक यात्रियों ने मंडल के विभिन्न स्टेशनों से यात्रा की। इनमें 4.55 लाख यात्री अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) के माध्यम से यात्रा करने वाले थे, जबकि 3.65 लाख यात्रियों के पास आरक्षित टिकट (पीआरएस) थे। यह आंकड़ा त्योहारों के दौरान रेल यात्रा की बढ़ती मांग और यात्रियों की भारी आवाजाही को दर्शाता है। प्रमुख स्टेशनों की बात करें तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 3.20 लाख



से अधिक यात्रियों ने सफर किया। वहीं साबरमती स्टेशन से लगभग 1.30 लाख और असारवा स्टेशन से करीब 50 हजार यात्रियों ने यात्रा की। इन तीनों प्रमुख स्टेशनों से ही छह दिनों के भीतर पांच लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को संभालना रेलवे प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, जिसके मद्देनजर अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए।

यात्रियों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए पश्चिम रेलवे की ओर से नवंबर 2026 में अहमदाबाद मंडल से विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के लिए कुल 73 विशेष ट्रेन ट्रिप्स चलाई जा रही हैं। इन विशेष सेवाओं का उद्देश्य नियमित ट्रेनों में बढ़ते दबाव को कम करना और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराना है। इन ट्रेनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के प्रमुख शहरों को जोड़ा जा रहा है। अहमदाबाद, साबरमती, असारवा, भुज और गांधीधाम से लखनऊ, कानपुर, आगरा, मुंबई, प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, राजगीर, जयपुर, हरिद्वार, भागलपुर सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे त्योहार मनाने के लिए अपने गृह नगर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिल रही है।

स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अहमदाबाद और साबरमती रेलवे स्टेशन पर विशेष होल्डिंग एरिया तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर भीड़ बढ़ाने से रोकना और ट्रेन आने से पहले उन्हें एक निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से प्रतीक्षा कराने की सुविधा देना है। इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने, पेयजल, पर्याप्त रोशनी और पंखों जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। विशेष रूप से सामान्य श्रेणी के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए खाद्य पैकेट, पानी की बोतलें, चिप्स और बिस्किट उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से यात्रियों के बीच खाद्य सामग्री और पेयजल का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा वाटर कूलर तथा अन्य पेयजल सुविधाओं की नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि लंबी प्रतीक्षा के दौरान यात्रियों को परेशानी न हो।

स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की विशेष तैनाती की गई है। यात्रियों की अधिक आवाजाही के कारण प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, प्रवेश और निकास द्वार तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था को लगातार बनाए रखना आवश्यक है। रेलवे प्रशासन की ओर से इन स्थानों की नियमित सफाई और सुविधाओं की निगरानी की जा रही है। भीड़ के दौरान बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को होने वाली संभावित असुविधाओं को कम करने के लिए भी कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), टिकट चेकिंग स्टाफ और अन्य रेल कर्मचारियों की विशेष तैनाती की गई है। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और अधिक भीड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रवेश और निकास द्वारों पर यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने, फुटओवर ब्रिज पर भीड़ को व्यवस्थित रखने और प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक जमावड़ा रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। टिकटिंग सुविधाओं की निगरानी के साथ यात्रियों को सही प्लेटफॉर्म, ट्रेन और अन्य आवश्यक जानकारी देने के लिए भी रेलकर्मी तैनात किए गए हैं।

त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से तत्काल निपटने के लिए अहमदाबाद मंडल के डीआरएम कार्यालय स्थित कंट्रोल बिल्डिंग में विशेष वॉर रूम स्थापित किया गया है। यहां से 24 घंटे यात्रियों की आवाजाही और ट्रेन परिचालन पर नजर रखी जा रही है। डीआरएम वेद प्रकाश ने स्वयं वॉर रूम का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध निगरानी व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की समीक्षा की। सीसीटीवी के माध्यम से अलग-अलग स्टेशनों पर भीड़ की स्थिति, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही, होल्डिंग एरिया में उपलब्ध व्यवस्था और कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में चढ़ने की प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। वॉर रूम का उद्देश्य किसी भी स्टेशन पर भीड़ बढ़ने या यात्रियों को परेशानी होने की स्थिति में तत्काल सूचना प्राप्त करना और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

दीपावली की भीड़ में चोरी की फिराक में घूम रहा संदिग्ध गिरफ्तार

अहमदाबाद। दीपावली के त्योहार के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती आवाजाही के बीच चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने निगरानी तेज कर दी है। इसी सतर्कता के दौरान अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर चोरी की नीयत से घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को आरपीएफ की क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन स्क्वॉड (सीपीडीएस) टीम ने पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह त्योहार के दौरान स्टेशन पर उमड़ने वाली भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करने के इरादे से वहां पहुंचा था। उसके पास कोई वैध यात्रा प्राधिकार पत्र भी नहीं मिला। आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), अहमदाबाद के हवाले कर दिया गया। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अनुसार, 7 नवंबर 2026 को आरपीएफ की सीपीडीएस टीम स्टेशन परिसर में अपराध रोकथाम और भीड़ प्रबंधन के उद्देश्य से निगरानी कर रही थी। इसी दौरान सहायक उप निरीक्षक रमन कुमार, हेड कांस्टेबल धीरज कुमार तथा कांस्टेबल सुनील कुमार और मुकेश कुमार प्लेटफॉर्म संख्या



4/5 पर तैनात थे। टीम यात्रियों की आवाजाही पर नजर रख रही थी और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के लिए लगातार गश्त कर रही थी। इसी दौरान जवानों की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, जो प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। उसकी गतिविधियां सामान्य यात्रियों से अलग प्रतीत होने पर आरपीएफ टीम ने उसे रोककर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान वह अपनी स्टेशन पर मौजूदगी का संतोषजनक कारण नहीं बता सका। इसके बाद टीम ने उससे यात्रा संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन उसके पास कोई वैध यात्रा प्राधिकार पत्र नहीं मिला। संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की गई।

आरपीएफ के अनुसार, पूछताछ में व्यक्ति ने बताया कि दीपावली के अवसर पर स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है और इसी का फायदा उठाकर वह चोरी करना चाहता था। हालांकि, किसी वारदात को अंजाम देने से पहले ही आरपीएफ की सतर्क टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान 45 वर्षीय परषोत्तम, पुत्र टीकम दास हरियाणी, निवासी कोतरपुर, अहमदाबाद के रूप में हुई है। आरपीएफ ने आरोपी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए जीआरपी अहमदाबाद को सौंप दिया। अब मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित पुलिस द्वारा की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में यात्री अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। भीड़ के कारण कई बार यात्रियों का सामान चोरी होने या अन्य आपराधिक घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे सुरक्षा बल की टीमें प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वार तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रख रही हैं। अहमदाबाद मंडल रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि रेलवे परिसर में अपराधों की रोकथाम के लिए सतर्कता और निगरानी लगातार जारी रहेगी। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे अपने सामान की सुरक्षा को लेकर सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत रेलवे सुरक्षा बल या संबंधित रेल कर्मचारियों को दें।

पुणे की सड़कों पर पैदल चलना और दोपहिया चलाना सबसे ज्यादा जोखिम भरा

पुणे। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या और यातायात के दबाव के बीच पुणे शहर और जिले में सड़क सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 में जिले के विभिन्न मार्गों और राजमार्गों पर कुल 121 ब्लैक स्पॉट यानी दुर्घटना संभावित स्थान चिह्नित किए हैं। इनमें सबसे अधिक 46 स्थान पुणे-सोलापुर हाईवे पर पाए गए हैं। इन आंकड़ों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी बुनियादी सुधारों की आवश्यकता को सामने ला दिया है। दूसरी ओर, पुणे पुलिस के वर्ष 2025 के सड़क दुर्घटना विश्लेषण के अनुसार, हादसों में जान गंवाने वालों में करीब 90 प्रतिशत पैदल यात्री और दोपहिया वाहन चालक थे। इससे स्पष्ट होता है कि सड़क पर सबसे अधिक जोखिम उन लोगों को उठाना पड़ रहा है, जो पैदल चलते हैं या दोपहिया वाहनों से सफर करते हैं।

जिला प्रशासन की ओर से चिह्नित किए गए 121 ब्लैक स्पॉट अलग-अलग सड़कों और राजमार्गों पर स्थित हैं। इनमें से 15 स्थान पुणे महानगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि शेष स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के



अधिकार क्षेत्र में हैं। प्रशासन ने इन सभी स्थानों का निरीक्षण कर दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करने और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य उन सड़क हिस्सों को सुरक्षित बनाना है, जहां बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं या जहां सड़क की बनावट, यातायात व्यवस्था और अन्य परिस्थितियों के कारण हादसों की आशंका अधिक रहती है।

ब्लैक स्पॉट ऐसे सड़क हिस्से होते हैं, जहां एक निश्चित अवधि में बार-बार दुर्घटनाएं दर्ज होती हैं। इन स्थानों पर सड़क की खराब स्थिति, अचानक मोड़, अपर्याप्त रोशनी, संकेतकों की कमी, अव्यवस्थित जंक्शन और तेज रफ्तार जैसे कारण हादसों को बढ़ा सकते हैं। कई बार सड़क के किनारे खड़े वाहन, अनियंत्रित प्रवेश और निकास, गलत दिशा से आने वाले वाहन तथा पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ते की कमी भी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इसलिए ब्लैक स्पॉट की पहचान के बाद केवल चेतावनी बोर्ड लगाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सड़क की वास्तविक स्थिति के अनुसार स्थायी सुधार करना जरूरी होता है। पुणे जिले में पुणे-सोलापुर हाईवे पर 46 ब्लैक स्पॉट का चिह्नित होना विशेष चिंता का विषय है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में निजी वाहनों के साथ भारी और व्यावसायिक वाहनों की भी आवाजाही रहती है। तेज रफ्तार, यातायात का दबाव और अलग-अलग प्रकार के वाहनों की एक साथ आवाजाही दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ा सकती है। ऐसे मार्गों पर सड़क की चौड़ाई, डिवाइडर, जंक्शन, सर्विस रोड, संकेतक और प्रकाश व्यवस्था की नियमित समीक्षा आवश्यक है। इसके अलावा, जहां पैदल यात्रियों की आवाजाही अधिक है, वहां सुरक्षित क्रॉसिंग और फुटपाथ की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। पुणे शहर के भीतर भी कई ऐसे स्थान सामने आए हैं, जहां दुर्घटनाओं की आशंका अधिक बनी रहती है। हडपसर पुलिस स्टेशन के सामने का क्षेत्र, कात्रज चौक, वारजे फ्लाईओवर, सोलापुर रोड पर किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स के पास का हिस्सा और पुणे-नगर हाईवे पर पेरणे फाटा प्रमुख दुर्घटना संभावित स्थानों में शामिल हैं। इन क्षेत्रों में वाहनों की अधिक आवाजाही, जंक्शन पर यातायात का दबाव और पैदल यात्रियों की आवाजाही सड़क सुरक्षा को चुनौतीपूर्ण बनाती है। व्यस्त चौराहों पर वाहन चालकों को कई दिशाओं से आने वाले यातायात का सामना करना पड़ता है। यदि वहां संकेतक स्पष्ट न हों या सिग्नल व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम न करे तो दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

पुणे पुलिस के वर्ष 2025 के विश्लेषण में सामने आया कि सड़क हादसों में मरने वालों में लगभग 90 प्रतिशत पैदल यात्री और दोपहिया वाहन चालक थे। यह आंकड़ा सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पैदल यात्रियों को अक्सर व्यस्त सड़कों पर सुरक्षित तरीके से सड़क पार करने में कठिनाई होती है। कई स्थानों पर फुटपाथ की कमी, फुटपाथ पर अतिक्रमण, पर्याप्त पैदल पार पथ का अभाव और तेज रफ्तार वाहनों के कारण उन्हें जोखिम उठाना पड़ता है। वहीं, दोपहिया वाहन चालकों को भारी वाहनों, तेज गति से चलने वाली कारों और यातायात की अव्यवस्थित स्थिति के बीच सफर करना पड़ता है। दुर्घटना होने पर दोपहिया चालकों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका भी अधिक रहती है।

सड़क हादसों के लिए केवल खराब सड़कें या प्रशासनिक कमियां ही जिम्मेदार नहीं हैं।

डुमस में जल संरक्षण की चुनौती उजागर, 65.5 प्रतिशत लोगों को वर्षा जल संचयन की जानकारी तक नहीं

सूरत। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते वैश्विक तापमान और तेजी से बदलते मौसम के बीच जल संकट आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। एक ओर भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो दूसरी ओर वर्षा के रूप में उपलब्ध प्राकृतिक जल का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा है। बारिश के मौसम में बड़ी मात्रा में पानी बहकर नालों और नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, जबकि गर्मी के दिनों में कई क्षेत्रों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का एक प्रभावी समाधान वर्षा जल संचयन यानी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग को माना जाता है। हालांकि, इसके महत्व और उपयोग को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। सूरत के डुमस क्षेत्र में किए गए एक अध्ययन ने इसी स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से संबद्ध T. & T. V. नर्सिंग इंस्टीट्यूट के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विभाग की ओर से किए गए शोध में सामने आया है कि अध्ययन में शामिल 65.5 प्रतिशत लोगों को वर्षा जल संचयन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी।

संस्थान के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विभाग ने डुमस क्षेत्र के नागरिकों के बीच वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, ज्ञान और उनके दृष्टिकोण का आकलन करने के उद्देश्य से यह अध्ययन किया। शोध में कुल 200 परिवारों को शामिल किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य केवल यह जानना नहीं था कि लोग रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के बारे में कितना जानते हैं, बल्कि यह भी समझना था कि जल संरक्षण के इस तरीके को अपनाने के प्रति उनका नजरिया कैसा है और वे अपने घरों तथा



आसपास के क्षेत्रों में वर्षा जल का उपयोग करने के लिए कितने तैयार हैं। अध्ययन के निष्कर्षों ने स्पष्ट किया कि जल संरक्षण को लेकर लोगों के बीच जानकारी और व्यवहार के स्तर पर अभी काफी काम किए जाने की आवश्यकता है।

यह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी संस्थान की एमएससी नर्सिंग की छात्रा जाह्नवी ढिम्मर ने अपने शैक्षणिक शोध के तहत तैयार की। बिलिमोरा निवासी जाह्नवी ने संस्थान के प्रिंसिपल प्रो. किरण कुमार वी. डोमडिया के मार्गदर्शन में डुमस क्षेत्र के 200 परिवारों से संबंधित अध्ययन पूरा किया। शोध के दौरान प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण कर यह समझने का प्रयास किया गया कि स्थानीय नागरिक वर्षा जल संचयन की अवधारणा, उसकी उपयोगिता और उसे अपनाने के तरीकों से कितने परिचित हैं। अध्ययन में सामने आए आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन में शामिल नागरिकों का वर्षा जल संचयन से संबंधित औसत ज्ञान स्कोर 54.8 प्रतिशत रहा। यह आंकड़ा बताता है कि लोगों के बीच इस विषय की कुछ जानकारी तो मौजूद है, लेकिन इसके व्यावहारिक पहलुओं को लेकर अभी भी पर्याप्त समझ विकसित नहीं हो पाई है। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि 65.5 प्रतिशत नागरिकों ने वर्षा जल संचयन के बारे में पहले से जानकारी नहीं होने की बात सामने रखी। इसके अलावा, अध्ययन में शामिल 57 प्रतिशत परिवारों का इस विषय के प्रति दृष्टिकोण अनुकूल नहीं पाया गया। यानी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिन्हें वर्षा जल संचयन के महत्व और इसके दीर्घकालिक लाभों के बारे में समझाने की आवश्यकता है। इन आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। वर्षा जल संचयन ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से छतों, खुले स्थानों और अन्य उपयुक्त सतहों पर गिरने वाले बारिश के पानी को एकत्रित कर सुरक्षित रखा जा सकता है या उसे विशेष संरचनाओं के जरिए जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए घरों की छतों से पाइप के माध्यम से पानी को टैंक तक पहुंचाने, फिल्टर लगाने, रिचार्ज पिट बनाने और भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था करने जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में घरों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएं, तो बारिश के पानी का बेहतर उपयोग संभव हो सकता है। इससे भूजल पर निर्भरता कम करने और भविष्य में पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

शोध रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल को सूरत में भेंट की गई। रिपोर्ट सौंपते समय छात्रा जाह्नवी ढिम्मर ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले समय में पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में वर्षा जल को व्यर्थ बहने देने के बजाय उसका अधिकतम संचयन और उचित उपयोग करना समय की मांग है। उन्होंने विशेष रूप से घरों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और रिचार्ज पिट बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि यदि प्रत्येक परिवार अपनी क्षमता के अनुसार बारिश के पानी को एकत्रित करने या जमीन के भीतर पहुंचाने की व्यवस्था करे, तो सामूहिक स्तर पर इसका बड़ा सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है।

जाह्नवी ने केंद्र सरकार के 'कैच द रेन' अभियान और 'जल जीवन मिशन' के उद्देश्यों के अनुरूप नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकार या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। घरों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक इकाइयों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। इसके साथ ही लोगों को यह भी समझाना जरूरी है कि पानी बचाने के छोटे-छोटे प्रयास भविष्य में बड़े बदलाव का आधार बन सकते हैं।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने छात्रा जाह्नवी ढिम्मर के शोध प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर युवाओं की ओर से किए जा रहे शोध समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

त्योहारों से पहले FDA का बड़ा शिकंजा, पांच जिलों में 3.78 करोड़ का संदिग्ध खाद्य सामान जब्त

नासिक। दीपावली सहित त्योहारों के दौरान बाजारों में खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच मिलावट और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने नासिक मंडल के पांच जिलों में व्यापक कार्रवाई की है। त्योहार विशेष अभियान 2026 के तहत चलाए गए इस अभियान में प्रशासन ने कुल 2.27 लाख किलोग्राम संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 3.78 करोड़ रुपये बताई गई है। 16 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चले इस विशेष जांच अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 120 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए। कार्रवाई नासिक, जलगांव, धुले, अहिल्यानगर और नंदुरबार जिलों में की गई। जांच में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से लेकर उनके उत्पादन, पैकेजिंग, लेबलिंग और भंडारण तक में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे और सह आयुक्त मंगेश माने के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह अभियान संचालित किया गया। अधिकारियों की अलग-अलग टीमों ने खाद्य निर्माण इकाइयों, थोक विक्रेताओं, दुकानों और अन्य खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के साथ उनके निर्माण और भंडारण की परिस्थितियों का भी जायजा लिया गया। जिन स्थानों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया, वहां नियमानुसार कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस मुहिम का उद्देश्य त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित और निर्धारित गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना था। पांच जिलों में हुई कार्रवाई के आंकड़ों में नासिक सबसे आगे रहा। यहां कुल 65 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। जलगांव में 23, धुले में 13, अहिल्यानगर में 10 और नंदुरबार में नौ प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस तरह मंडल के पांचों जिलों में कुल 120 प्रतिष्ठानों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई उन कारोबारियों के खिलाफ की गई, जहां निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन और निर्धारित मानकों के पालन में कमी पाई गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि त्योहारों के दौरान खाद्य कारोबार की निगरानी के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया।

जांच के दौरान अधिकारियों ने कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का बड़ा स्टॉक जब्त किया। इसमें मिठाइयां, चिवड़ा, खाद्य तेल, मसाले, फरसाण, खोया, मक्खन, पैकेज्ड पेयजल, मावा और भगार सहित विभिन्न खाद्य सामग्री शामिल रही। जब्त सामग्री में मसाले, खाद्य तेल, मिठाइयों और फरसाण की मात्रा अधिक बताई गई है। त्योहारों के समय इन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। मिठाइयों और नमकीन की बिक्री के साथ-साथ खाद्य तेल और मसालों की खपत भी बढ़ती है। ऐसे में इनकी गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। अभियान के दौरान कुछ खाद्य पदार्थ निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। वहीं, कई प्रतिष्ठानों में उत्पादन और भंडारण की परिस्थितियां भी अस्वच्छ मिलीं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए साफ-सफाई, उचित तापमान, स्वच्छ उपकरण और निर्धारित भंडारण व्यवस्था जरूरी होती है। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाती है तो खाद्य सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसी कारण निरीक्षण के दौरान केवल तैयार उत्पादों की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि उनके निर्माण और रखरखाव की प्रक्रिया पर भी विशेष ध्यान दिया गया। जांच में खाद्य तेल के कारोबार से जुड़ी कई अनियमितताएं भी सामने आईं। अधिकारियों के अनुसार, कुछ स्थानों पर खाद्य तेल की दोबारा पैकिंग के लिए पुराने डिब्बों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा लेबलिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन और वैध फोर्टिफिकेशन लाइसेंस के बिना उत्पाद पर 'फोर्टिफाइड ऑयल' होने का दावा करने जैसी गड़बड़ियां भी पाई गईं। खाद्य तेल के पैकेट या डिब्बे पर दी गई जानकारी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसमें उत्पाद की प्रकृति, निर्माता और अन्य आवश्यक विवरण सही तरीके से दर्ज होना जरूरी है। गलत जानकारी देकर उत्पाद बेचना उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है। कुछ खाद्य उत्पादों पर गलत लेबलिंग और ब्रांडिंग के मामले भी सामने आए। वहीं, मिठाइयों में निर्धारित सीमा से अधिक कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल की अनियमितताएं भी जांच में दर्ज की गईं। मिठाइयों को आकर्षक दिखाने के लिए रंगों का उपयोग किया जाता है, लेकिन खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत केवल अनुमत रंगों का ही निर्धारित सीमा में इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्धारित मात्रा से अधिक या प्रतिबंधित रंगों का उपयोग उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे मामलों में उत्पाद के नमूनों की जांच और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होती है। FDA ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार